

# फर्द अहकाम

मालूराम बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र:

14/2025

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	04.01.2025	<p>वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम रामपुराऊंती, पटवार हल्का रामपुराऊंती भू- अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जयपुर के खसरा 118, 119/2, 137/1, 138 कुल किता 4 कुल रकबा 0.8000 है0 में सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया।</p> <p>बहस वकील प्रार्थीगण व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.06.2024 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है।</p> <p>प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 करवाने का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि की वाके ग्राम रामपुराऊंती, पटवार हल्का रामपुराऊंती भू- अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जयपुर के खसरा 118, 119/2, 137/1, 138 कुल किता 4 कुल रकबा 0.8000 है0 में सीमाज्ञान फर्द मौका-रिपोर्ट आदेश दिनांक 21.06.2024 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	

**उपखण्ड अधिकारी**  
**जयपुर द्वितीय (सांगानेर)**